<u>उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस</u>

jft- ,-Mh-@bl&esy

Hkkjr ljdkj
[kku ea=ky;
Hkkjrh; [kku C;wjks
{ks=h; [kku fu;a=d dk;kZy;
f}rh; ry] th0 ,l0 vkbZ0 QhYM Áf'k{k.k dsUnz] egkys[kkdkj dk;kZy; ifjlj]
iksLV&fo/kku lHkk] jk;iqj&492005 ¼NÙkhlx<½
Qksu ,oa QSDl&0771&2282530] 2285590@95 bZ&esy% ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/SRG/BX-2/NGP   खान कोड- 07MPR42002   दिनांकः–08.04.2022

प्रेषिति-

श्री अभिजित पति,
नामित खान मालिक,
सर्वश्री भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड,
एलुमिनियम सदन, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल- abhijit.pati@vedanta.co.in, manasranjan.sahu@vedanta.co.in

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपके मैनपाट बॉक्साइट खदान 639.169 हैक्टर में खनिज संरक्षण एबं विकास नियमावली 2017 एबं 2021 के नियमों के संबंध में |

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी एवं ईस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री सूरज कुमार गुप्ता, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया हे |

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
45(5)(C)	While scrutiny of annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i) At part – I of table no. 12, the lease area (surface area) utilization at the end of the year furnished incorrectly. ii) At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly. iii) At para 4.2 (B)(ii) mineral rejects generated with grades (tonnes); quantity 64747 tonnes wrongly furnished.
55	Full time Geologist has not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।

(ख) भूवैज्ञानिक ~~और खनन इंजीनियरों~~ का नोयोजन न करने पर 500000/- रुपये भुगतान करना होगा।

(ग) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(घ) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ङ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **55** का **अतिशीघ्र** सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतःआपको यह भी निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **45(5)(C)** का **अतिशीघ्र** सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यो न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए । (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर की जाए । (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए ।

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– **(ईमेल द्वारा)**

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक ;(सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(रुद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर